न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰
प्रकरण संख्या 18/2021 (उदयपुर डिक्री)

1. जेतराम पिता उदा जी डांगी, निवासी केशरपुरा (एकलिंगपुरा), तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. भीमा पिता माना जी डांगी, निवासी केशरपुरा (एकलिंगपुरा), तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. उंकार पिता माना जी डांगी, निवासी केशरपुरा (एकलिंगपुरा), तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. कुका पिता माना जी डांगी, निवासी केशरपुरा (एकलिंगपुरा), तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. नारायण पिता रूपा जी डांगी, निवासी केशरपुरा (एकलिंगपुरा), तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्री जगदीश जी महाराज स्थान पुजारी, शंकरलाल पिता गंगाराम जी ब्राहमण, निवासी एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. देवस्थान विभाग, उदयपुर जरिये सहायक आयुक्त देवस्थान, उदयपुर।

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 रा॰
का॰अ॰ 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दि॰ 18.01.2021 प्र.सं. 19/2015

———/———

उपस्थित :– 1– श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 21–08–2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद बाबत अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर दिया कि मौजा एकलिंगपुरा में साबिक आराजी नंबरी 794, 801, 805, 807, 808, 809, 812 कुल किता 7

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:54:03 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसके हाल आराजी नंबर 2070, 2071, 2137, 2072, 2073, 2074, 2075, 2129, 2130, 2076 कुल किता 10 रकबा 1.2350 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त आराजियात का के वादीगण कानूनी खातेदार हैं, परन्तु सेटलेन्ट की गलती सये वादीगण के बजाय श्री जगदीश जी महाराज स्थान उदयपुर के नाम दर्ज हो गयी। जमाबन्दी संवत् 1987 में श्री जगदीश जी महाराज स्थान उदयपुर का नाम माफीदार (खातेदार) दर्ज था तथा ब्राहमण लोग इसके पुजारी दर्ज थे एवं हीरा वल्द नन्दा डांगी इसके खडमदार दर्ज थे। हीरा वल्द नन्दा का नाम संवत् 2016 से 2019 एवं 2019 से 2002 की जमाबन्दी में खड़मदार के रूप में दर्ज है तथा हीरा की मृत्यु के बाद उसकी पुत्री भूरीबाई का नाम संवत् 2027 से 2030 की जमाबन्दी में दर्ज है तथा भूरीबाई की मृत्यु के बाद विरासत से वादीगण का नाम दर्ज हुआ, किन्तु वक्त सेटलमेन्ट वादीगण का नाम हटाकर खड़मदार की हैसियत से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज कर दिया, जो गलत है। अतः विवादित आराजियात का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29–09–2011 को वादीगण का वाद साबित नहीं होना मानकर खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध वादीगण द्वारा न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 31–12–2014 को स्वीकार की जाकर प्रकरण पुनः रिमाण्ड किया गया। रिमाण्ड आदेश की पालना में अधिनस्थ द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर कर 3 तनकियां कायम की तथा तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 18–01–2021 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 15–03–2021 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुऐ। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को अनदेखा कर यह कह कर कि पहले भी भूमि पहले भी जगदीश जी महाराज के नाम दर्ज थी तथा अब भी जगदीश जी महाराज के नाम दर्ज है, विवादित निर्णय पारित करने में भारी भूल है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:54:03 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से अपने वाद को साबित कराया है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने तनकियों का निर्णय भी साक्ष्यों के विपरीत किया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा अपीलान्ट/वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान राजकीय अभिभाषक ने निवेदन किया कि विवादित भूमि शुरू से ही जगदीश जी महाराज उदयपुर के खाते में दर्ज रही है तथा वर्तमान में भी जगदीश जी महाराज के खाते में दर्ज है, जिसके खातेदारी अधिकार अपीलान्ट/वादीगण को नहीं दिये जा सकते। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रदर्श 1 जमाबन्दी बहकमा बन्दोबस्त संवत् 1987 में साबिक आराजी नंबर 794, 801, 805, 806, 808, 809 व 812 कुल किता 7 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा खातेदार के कॉलम में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 श्री जगदीश जी महाराज स्थान उदयपुर के नाम दर्ज है तथा वादीगण के पूर्वाधिकारी पुजारी के रूप में दर्ज हैं। मिलान क्षेत्रफल अनुसार उक्त साबिक आराजी नंबर 794, 801, 805, 806, 808, 809 व 812 से हाल आराजी नंबर 2070, 2071, 2137, 2072, 2073, 2074, 2075, 2129, 2130, 2076 कुल किता 10 रकबा 1.2350 हैक्टर बनकर वर्तमान जमाबन्दी में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 श्री जगदीश जी महाराज स्थान उदयपुर के नाम दर्ज है। वादीगण अथवा उनके पूर्वाधिकारी इस भूमि के पुजारी दर्ज रहे हैं, न कि खातेदार। मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग होती है, जिसके हितों की रक्षा करना राज्य सरकार का दायित्व है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी तथ्यों का तनकीवार विवेचन करते हुए अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 18–01–2021 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 21–08–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:54:03 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

जेतराम पिता उदा जी डांगी, निवासी केशरपुरा(एकलिंगपुरा), तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य बनाम **श्री जगदीश जी महाराज स्थान पुजारी, शंकरलाल पिता गंगाराम ब्राहमण, नि0 एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा व अन्य**

अपील नं.....**18 / 2021**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....18**.....माह.....**01**.....**2021**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**21**....माह.....**08**....सन् **2024** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री ओंकारलाल डांगी** .....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री कमलेश चौहान**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 18–01–2021 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**21**.....माह.....**08**.....**2024** को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:54:03 IST
Reason: SelfAttested